रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248255
CG-DL-E-23082023-248255

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र 1, 1945
No. 587] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 23 अगस्त, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/149.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में -

I. अध्याय-VI के बाद निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय-VIक

असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस (मोचनीय अधिमानी) शेयरों की स्वैच्छिक असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) हेतु ढाँचा और इस प्रकार की जाने वाली असूचीबद्धता के संबंध में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के दायित्व

64क. लागू होना

(1) इस अध्याय के प्रावधान सभी सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस (मोचनीय अधिमानी) शेयरों को उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों से या उन स्टॉक एक्सचेंजों में से किसी स्टॉक एक्सचेंज से स्वेच्छा से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने के मामले में लागू होंगे, जहाँ ऐसी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सूचीबद्ध (लिस्ट) हों, लेकिन ये प्रावधान वहाँ लागू नहीं होंगे, जहाँ:

(क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी द्वारा किसी सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के माध्यम से जारी की गई सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या जारी किए गए असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों की मीयाद पूरी न हुई हो;

(ख) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की किसी एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (इंटरनेशनल सिक्यूरिटीज़ आईडेंटिफिकेशन नंबर) वाली सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दो सौ से अधिक धारकों (होल्डर) [अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन्ल बायर) को छोड़कर] के पास हों;

(ग) स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी पर लगाई गई किसी शास्ति (पेनल्टी) या उसके खिलाफ शुरू की गई किसी कार्रवाई की वजह से अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन)] नियम, 1957 के नियम 21 में बताए गए किसी भी आधार पर असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कर दिया गया हो;

(घ) स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को रिडीम किए जाने के बाद असूचीबद्ध कर दिया गया हो;

(ङ) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को दिवाला संहिता की धारा 31 के अनुसार समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) लाकर असूचीबद्ध कर दिया गया हो।

(2) यदि दिवाला संहिता के प्रावधानों के अनुसार समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) लाकर असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) की गई हो, तो ऐसे में असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों की असूचीबद्धता के ब्यौरे दिवाला संहिता के तहत समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को मंजूरी दिए जाने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर उन स्टॉक एक्सचेंजों को देने होंगे, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) या ऐसे शेयर सूचीबद्ध हों।

(3) इन विनियमों के विनियम 59 के प्रावधान, इस अध्याय के तहत असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों की स्वेच्छा से की जाने वाली असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) पर लागू नहीं होंगे।

64ख. स्टॉक एक्सचेंजों की सैद्धांतिक मंजूरी

(1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) करने के प्रस्ताव हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास आवेदन उस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा

निर्धारित किए गए फॉर्म में प्रस्तुत करेगी, और जो उसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा संकल्प (रेज़ोल्यूशन) पारित किए जाने की तारीख से या कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य मंजूरी मिलने की तारीख से (जो भी बाद की हो) पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(2) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध कराने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन पर कार्यवाही संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा, उस आवेदन (जो हर तरह से पूरा हो) के प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर, पूरी कर ली जाएगी।

(3) स्टॉक एक्सचेंज सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करते समय सभी जरूरी बातों पर गौर करेगा, जैसे कि:

(क) क्या असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) से जरूरी मंजूरियाँ ले ली गई हैं;

(ख) क्या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी ने निवेशकों की सभी शिकायतों का निवारण कर दिया है;

(ग) क्या स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्धता (लिस्टिंग) संबंधी फीस या सभी जुर्मानों या शास्तियों (पेनल्टी) का पूरा भुगतान कर दिया गया है;

(घ) क्या इन विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन कर लिया गया है;

(ङ) क्या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के खिलाफ ऐसे किसी मामले में कोई मुकदमा चल रहा है या कोई कार्रवाई चल रही है, जिसका ताल्लुक प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से हो;

(च) क्या सूचीबद्ध एंटिटी ने बोर्ड द्वारा लगाई गई किसी शास्ति (पेनल्टी) की रकम अदा नहीं की है या बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध एंटिटी पर लगाई गई कोई पाबंदी आदि अभी भी लगी हुई है।

64ग. सूचीबद्ध एंटिटी के दायित्व

(1) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनके पास भी हों, उन सभी धारकों (होल्डर) से जरूरी मंजूरी लेने की प्रक्रिया, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किए जाने की तारीख से तीन कार्य-दिवसों के भीतर, शुरू कर ली जाए।

(2) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने के प्रस्ताव के संबंध में जो कुछ भी किया जाए उसकी जानकारी, यानि कि निदेशक मंडल के समक्ष असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव को कार्य-सूची (एजेंडा) में रखे जाने से लेकर असूचीबद्धता की प्रक्रिया पूरी होने तक की जानकारी, इन विनियमों के विनियम 51 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को महत्त्वपूर्ण जानकारी के तौर पर देनी होगी।

(3) इन विनियमों के विनियम 51 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाने वाली जानकारी के अलावा, सूचीबद्ध एंटिटी को, असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों की असूचीबद्धता हेतु स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त होने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, नीचे दी हुई जानकारी भी अपने वेबसाइट पर देने के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों को भी देनी होगी:

(क) उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताना होगा (उन स्टॉक एक्सचेंजों के नाम बताने होंगे), जहाँ से असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) करवाना हो, और साथ ही उन सभी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या शेयरों के ब्यौरे देने होंगे जिन्हें असूचीबद्ध करवाना हो;

(ख) यह बताना होगा कि किस निर्धारित तारीख तक के असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों के धारकों (होल्डर) को असूचीबद्धता के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने हेतु सूचना (नोटिस) भिजवानी होगी;

(ग) यह बताना होगा कि असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध कराने के पीछे क्या उद्देश्य और क्या कारण हैं;

(घ) यह बताना होगा कि खंड (ख) के अनुसार निर्धारित की गई तारीख से लेकर असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध कराने के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों के पास अंतिम आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक कब-कब क्या-क्या किया जाएगा;

(ङ) एक दावात्याग (डिस्क्लेमर) देना होगा, जिसमें यह जिक्र किया जाएगा कि:

"प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के असूचीबद्ध हो जाने के बाद:

(i) असूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ / असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के दायरे से बाहर हो जाएँगे; और

(ii) जिनके पास ऐसी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ / असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हों, वे धारक (होल्डर) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के तहत निवेशकों की शिकायत निवारण व्यवस्था [जैसे विवाद सुलझाने की व्यवस्था, शिकायतों के निवारण की व्यवस्था (स्कोर्स), आदि] का किसी भी कारण से लाभ नहीं उठा पाएँगे, फिर चाहे डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) को बदला गया हो या उसे हटाया गया हो और या फिर कोई चूक (डिफॉल्ट) हुई हो।";

(च) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के निदेशक मंडल को पुष्टि करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जो भी महत्त्वपूर्ण जानकारी दी जानी जरूरी है, वह स्टॉक एक्सचेंज को दे दी गई है;

(छ) डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) को यह उल्लेख करना होगा कि जमानती (सिक्योर्ड) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के मामले में रखी गई जमानत (सिक्यूरिटी कवर) पर्याप्त है;

(ज) एक वचन देते हुए यह उल्लेख करना होगा कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने इस अध्याय के तहत की जाने वाली असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के संबंध में किसी भी निवेशक को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, न तो किसी तरह का कोई प्रोत्साहन दिया है और न ही देगा;

(झ) जो असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर संबंधित पक्षों (रिलेटिड पार्टी) के पास हों अथवा निर्गमकर्ता (इश्युअर) या उसके संबंधित पक्षों की ओर से किसी दूसरे व्यक्ति के पास हों, उनकी जानकारी देनी होगी, और साथ ही एक वचन देते हुए यह उल्लेख करना होगा कि ऐसे व्यक्ति प्रस्ताव के संबंध में मत नहीं डालेंगे;

(ञ) एक वचन देते हुए यह उल्लेख करना होगा कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने किसी भी निवेशक के साथ या उन व्यक्तियों के साथ, जिनका जिक्र ऊपर खंड (झ) में किया गया है, न तो ऐसा कोई समझौता (साइड लेटर जारी करके या किसी और तरीके से) किया है और न ही वह ऐसा करेगा जिससे कि निवेशकों के साथ भेदभाव हो;

(ट) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के निदेशक मंडल को प्रमाणित करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि: -

(i) एंटिटी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों (जो भी लागू हों) का पालन कर रही है; और

(ii) असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) उनकी राय में (जिसके साथ पूरा स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा), उन सभी धारकों (होल्डर) के हित में है, जिनके पास असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं;

(ठ) सूचीबद्ध एंटिटी के अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) का नाम बताना होगा और उसके संपर्क संबंधी ब्यौरे भी देने होंगे।

64घ. असूचीबद्धता की सूचना (नोटिस)

(1) सूचीबद्ध एंटिटी, स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य-दिवसों के भीतर, उन्हें असूचीबद्धता की सूचना (नोटिस) भेजेगी जिनके पास असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हों।

(2) उप-विनियम (1) में जिस सूचना (नोटिस) का जिक्र किया गया है, उसकी एक प्रति सूचीबद्ध एंटिटी के वेबसाइट पर भी डलवाई जाएगी।

(3) असूचीबद्धता की सूचना (नोटिस) में वह समस्त जानकारी दी जाएगी जिसका जिक्र इन विनियमों के विनियम 64ग में किया गया है, जिसके साथ स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से मिली सैद्धांतिक मंजूरी की प्रति भी लगानी होगी, और साथ ही दूसरी वह जानकारी भी दी जाएगी जो असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों के धारकों (होल्डर) के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने हेतु जरूरी हो।

(4) असूचीबद्धता की सूचना (नोटिस) में इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि जिनके पास असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, उनके लिए ई-मतदान (ई-वोटिंग) की व्यवस्था है।

64ङ. धारकों (होल्डर) की मंजूरी और डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) का अनापत्ति-पत्र

(1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, असूचीबद्धता की सूचना (नोटिस) की तारीख से पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर, उन सभी धारकों (होल्डर) से मंजूरी प्राप्त करेगी, जिनके पास असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हों।

(2) सूचीबद्ध एंटिटी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध कराने के मामले में डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) से अनापत्ति-पत्र भी प्राप्त करेगी।

64च. असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव का असफल होना

(1) असूचीबद्धता के प्रस्ताव को तब असफल माना जाएगा, जब:

(क) किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक मंजूरी न मिले; या

(ख) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों के धारकों (होल्डर) से जरूरी मंजूरी न मिले; या

(ग) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव के मामले में डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) से अनापत्ति-पत्र न मिले।

(2) यदि असूचीबद्धता का प्रस्ताव असफल हो जाए, तो ऐसे में सूचीबद्ध एंटिटी, उप-विनियम (1) के अनुसार असूचीबद्धता के प्रस्ताव के असफल हो जाने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर, स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी देगी।

64छ. स्टॉक एक्सचेंज के पास अंतिम आवेदन

(1) जिनके पास असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हों, उन धारकों (होल्डर) से इन विनियमों के विनियम

64ङ के अनुसार जरूरी मंजूरी मिलने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, सूचीबद्ध एंटिटी इन्हें असूचीबद्ध कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास अंतिम आवेदन उस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्म में प्रस्तुत करेगी ।

(2) असूचीबद्ध कराने के लिए किए गए अंतिम आवेदन पर कार्यवाही स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, उस आवेदन (जो हर तरह से पूरा हो) के प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर, पूरी की जाएगी ।

(3) असूचीबद्ध कराने के लिए किए गए अंतिम आवेदन पर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कार्यवाही पूरी कर लिए जाने के बाद, सूचीबद्ध एंटिटी की, यथास्थिति, असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध करा लिया जाएगा ।

64ज. कुछ स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध कराना

(1) जहाँ असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, वहाँ सूचीबद्ध एंटिटी सभी स्टॉक एक्सचेंजों से उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या शेयरों को असूचीबद्ध करा सकेगी, लेकिन उसे राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनलों वाले एक स्टॉक एक्सचेंज में उनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) जारी रखनी होगी ।

(2) यदि सूचीबद्ध एंटिटी उप-विनियम (1) के अनुसार अपनी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या अपने असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराना चाहती हो, तो उस पर इन विनियमों के विनियम 64ख से 64छ के प्रावधान लागू नहीं होंगे, और सूचीबद्ध एंटिटी को:

(क) इस प्रकार प्रतिभूतियों या शेयरों को असूचीबद्ध कराने के लिए अपने निदेशक मंडल की पूर्व मंजूरी लेनी होगी;

(ख) अपनी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या अपने असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास आवेदन करना होगा;

(ग) अपने वेबसाइट पर यह जानकारी देनी होगी कि स्टॉक एक्सचेंजों से प्रतिभूतियों या शेयरों को असूचीबद्ध कराया जा रहा है;

(घ) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध कराने के मामले में डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) से अनापत्ति-पत्र लेना होगा;

(ङ) अपने वेबसाइट पर यह जानकारी देनी होगी कि, यथास्थिति, असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों को असूचीबद्ध कराया जा रहा है, उन्हें असूचीबद्ध कराने के पीछे क्या कारण हैं, और वे राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज में अब भी सूचीबद्ध हैं ।

(3) उप-विनियम (1) के अनुसार असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए दाखिल किए गए आवेदन पर कार्यवाही स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, उस आवेदन (जो हर तरह से पूरा हो) के प्राप्त होने की तारीख से तीस कार्य-दिवसों के भीतर, पूरी की जाएगी ।

64झ. स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रावधानों के पालन पर नज़र रखना

संबंधित स्टॉक एक्सचेंज इस बात पर नज़र रखेंगे कि क्या सूचीबद्ध एंटिटी इस अध्याय के प्रावधानों का पालन कर रही है या नहीं, और जब-जब प्रावधानों का पालन न किया जाए तब-तब वे बोर्ड को उसकी जानकारी यथासंभव जल्द से जल्द देंगे ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./369/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:

   क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा

   ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा

   ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा

   घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा

   ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा

   च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

   छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा

   ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

   झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा

   ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा

   ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा

   ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा

   ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा

   ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा

   ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा

त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा

थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा

द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा

ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा

प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा

फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा

ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा

भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/35, द्वारा

य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/42, द्वारा

कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47, द्वारा

खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/55, द्वारा

गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा

घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा

ङङ) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा

चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा

छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा

जज) 14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103, द्वारा

झझ) 5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/109, द्वारा

ञञ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/117, द्वारा

टट) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

ठठ) 14 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/131, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd August, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/149.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 –

I. after Chapter VI, the following Chapter shall be inserted namely,-

"**CHAPTER VIA**

FRAMEWORK FOR VOLUNTARY DELISTING OF NON-CONVERTIBLE DEBT SECURITIES OR NON-CONVERTBLE REDEEMABLE PREFERENCE SHARES AND OBLIGATIONS OF THE LISTED ENTITY ON SUCH DELISTING

64A. Applicability

(1) The provisions of this Chapter shall be applicable to voluntary delisting of all listed non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares from all or any of the stock exchanges where such non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares are listed except where:

(a) a listed entity that has outstanding listed non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares issued by way of a public issue; or

(b) a listed entity has more than two-hundred securities holders excluding qualified institutional buyers in any International Securities Identification Number relating to listed non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares;

(c) non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares have been delisted by the stock exchanges as a consequence of any penalty or action initiated against the listed entity or on any grounds as specified under rule 21 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957;

(d) non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares have been delisted by the stock exchanges pursuant to redemption of such securities or shares;

(e) non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares have been delisted pursuant to a resolution plan as per Section 31 of the Insolvency Code.

(2) In case of delisting pursuant to a resolution plan as per the provisions of the Insolvency Code, the details of delisting of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares shall be disclosed to the stock exchanges where such securities or shares are listed within one working day of the approval of the resolution plan under the Insolvency Code.

(3) The provisions of regulation 59 of these regulations shall not be applicable to the voluntary delisting of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares under this Chapter.

64B. In-principle approval of the stock exchanges

(1) The listed entity shall make an application to the relevant stock exchange(s) for seeking in-principle approval for the proposed delisting of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares in the form specified by such stock exchange, not later than fifteen working days from the date of passing of the board resolution to that effect or of receipt of any other statutory or regulatory approval, whichever is later.

(2) The application seeking in-principle approval for the delisting of the non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares shall be disposed of by the relevant stock exchange(s) within a period not exceeding fifteen working days from the date of receipt of such application that is complete in all respects.

(3) The stock exchange shall take into account all relevant matters including the following while granting the in-principle approval:

(a) necessary approvals of the board of directors in respect of the delisting proposal;

(b) due resolution of all investor grievances by the listed entity;

(c) due payment of all listing fees or fines or penalties to the stock exchange;

(d) compliance with all provisions of these regulations;

(e) pendency of any litigation or action against the listed entity pertaining to its activities in the securities market;

(f) non-payment of any penalty imposed by the Board or the existence of any restrictions or limitations imposed by the Board upon the listed entity.

64C. Obligations of the listed entity

(1) The listed entity shall ensure that the process of obtaining necessary approval from all holders of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares commences within three working days of the grant of in-principle approval by the stock exchange(s).

(2) All the events in respect of the proposal of delisting for non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares beginning with the placing of the agenda for delisting before the board of directors till the delisting is completed, shall be disclosed as material information to the stock exchanges as per regulation 51 of these regulations.

(3) In addition to the information disclosed to the stock exchanges as per regulation 51 of these regulations, the following information shall be disclosed by the listed entity on its website as well as to the stock exchanges, within two working days from the date of receipt of in-principle approval from the stock exchanges for delisting of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares:

(a) the name(s) of the stock exchange(s) from which the non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares are sought to be delisted together with the details of all such securities or shares that are sought to be delisted;

(b) the cut-off date specified for determining the list of holders of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares to whom notice for approving the delisting proposal is mandated to be sent;

(c) the objects and reasons for delisting of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares;

(d) the proposed time table from the cut-off date as specified in clause (b) till the date of making final application to the stock exchanges for delisting of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares;

(e) a disclaimer specifying the following:

"Once the said securities are delisted:

(i) the delisted non-convertible debt securities/ non-convertible redeemable preference shares shall cease to be under the purview of the Act and the rules and regulations prescribed thereunder; and

(ii) the holders of such non-convertible debt securities/ non-convertible redeemable preference shares shall not have any recourse to the investor grievance mechanism for any reason including change/ removal of the debenture trustee or in case of default, such as dispute resolution mechanism, grievance redress mechanism (SCORES), etc. under the Act and the rules and regulations made thereunder.";

(f) a statement by the board of directors of the listed entity confirming that all material information which is required to be disclosed under the provisions of these regulations has been disclosed to the stock exchange;

(g) a statement from the debenture trustee on the adequacy of security cover in case of secured non-convertible debt securities;

(h) an undertaking that the issuer has not paid or shall not pay any incentive to any investor, directly or indirectly, in connection with delisting under this Chapter;

(i) disclosure of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares held by the related parties or by any person on behalf of the issuer or its related parties and an undertaking that such persons shall not vote on the proposal;

(j) an undertaking that the issuer has not entered or shall not enter into any arrangement with any investor or with persons referred to in clause (i) above, by way of side letters or otherwise which leads to the discrimination amongst the investors;

(k) a statement by the board of directors of the listed entity certifying that: -

(i) the entity is in compliance with the applicable provisions of securities laws; and

(ii) the delisting, in their opinion (with detailed explanation), is in the interest of the holders of the non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares;

(l) name and contact details of the compliance officer of the listed entity.

64D. Notice of delisting

(1) The listed entity shall send the notice of delisting to the holders of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares, not later than three working days from the date of receipt of in-principle approval from the stock exchanges.

(2) A copy of the notice referred to in sub-regulation (1) shall also be made available on the website of the listed entity.

(3) The notice of delisting shall contain all the disclosures specified in regulation 64C of these regulations along with the in-principle approval received from the stock exchange(s) and such other disclosures as may be necessary for the holders of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares to take an informed decision.

(4) The notice of delisting shall also contain the provision of e-voting for the holders of the non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares.

64E. Approval from the holders and No-Objection Letter from the Debenture Trustee.

(1) The listed entity shall obtain approval from all the holders of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares within fifteen working days from the date of the notice of delisting.

(2) The listed entity shall also obtain the No-Objection Letter from the debenture trustee in case of delisting of non-convertible debt securities.

64F. Failure of delisting proposal.

(1) The delisting proposal shall be deemed to have failed under any of the following circumstances:

(a) non-receipt of in-principle approval from any of the stock exchanges; or

(b) non-receipt of requisite approval from the holders of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares; or

(c) non-receipt of No-Objection Letter from the debenture trustee in case of proposal for delisting of non-convertible debt securities.

(2) In case of failure of the delisting proposal, the listed entity shall intimate the same to the stock exchanges within one working day from the date of event of failure as specified in sub-regulation (1).

64G. Final application to the stock exchange

(1) Within five working days from the date of obtaining the requisite approval from the holders of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares in terms of regulation 64E of these regulations, the listed entity shall make the final application for delisting to the stock exchange in the form specified by such stock exchange.

(2) The final application for delisting shall be disposed of by the stock exchange within fifteen working days from the date of receipt of such application that is complete in all respects.

(3) Upon disposal of the final application for delisting by the stock exchange, the non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares of the listed entity, as the case may be, shall be delisted from the stock exchange.

64H. Delisting from some of the stock exchanges.

(1) Where the non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares are listed on more than one stock exchanges, the listed entity may choose to delist such securities or shares from all stock exchanges except one such stock exchange having nationwide trading terminals.

(2) If the listed entity proposes to delist its non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares as per sub-regulation (1), the provisions of regulations 64B to 64G of these regulations shall not be applicable and the listed entity shall:

(a) obtain the prior approval of its board of directors for such delisting;

(b) make an application to the stock exchange for delisting its non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares;

(c) disclose the fact of delisting from the stock exchanges on its website;

(d) obtain No-Objection Letter from the Debenture Trustee in case of proposed delisting of non-convertible debt securities;

(e) disclose the fact of delisting, the reasons for such delisting and the fact of continuation of listing of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares, as the case may be, on the stock exchange having nationwide trading terminals, on its website.

(3) The application for delisting filed as per sub-regulation (1) shall be disposed of by the stock exchange within a period not exceeding thirty working days from the date of receipt of such application that is complete in all respects.

64I. Monitoring of compliance by the stock exchanges

The relevant stock exchanges shall monitor compliance by the listed entity with the provisions of this Chapter and shall report to the Board all instances of non-compliance as soon as reasonably possible."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./369/2023-24]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:

   a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.

   b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.

   c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.

   d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.

   e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.

   f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

   g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.

   h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/13.

   i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/21.

   j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/24.

   k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/ GN/2018/30.

   l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/47.

   m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.

   n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/ GN/2019/12.

   o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2019/22.

p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2019/28.

q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2019/45.

r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.

s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2020/25.

u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2020/33.

v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.

w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/22.

x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/35.

z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/42.

aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/47.

bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 2021/55.

cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.

dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/76.

ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/79.

ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/80.

gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/88.

hh) November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/103.

ii) December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/109.

jj) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117.

kk) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

ll) June 14, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.23 19:37:53 +05'30'